

## कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.11(03)प्रशि/आरपीटीसी/2022/121265

दिनांक:- 12/10/2022

1. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।

विषय:- आरपीटीसी, जोधपुर में "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015" विषय पर प्रशिक्षण कोर्स के लिये मनोनयन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर में दिनांक 22.11.2022 को एक दिवसीय "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015" विषय पर कोर्स आयोजित किया जा रहा है। अतः उक्त कोर्स के लिए निम्नानुसार सीटें आवंटित की जाती है:-

क्र. सं.	रेंज का नाम	आवंटित सीट की संख्या
1.	आयुक्तालय, जोधपुर	12
2.	जोधपुर रेंज	18
	कुल योग	30

उपरोक्तानुसार आवंटित सीटों के अनुरूप संख्या में सहायक उप निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों जिन्होंने पूर्व में उक्त कोर्स नहीं किया हो, को मनोनीत कर मनोनीत कर्मियों को दिनांक 22.11.2022 को प्रातः 09:30 ए.एम तक राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर में रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित कर इस कार्यालय को भी अवगत करावें। आपको आवंटित सीटों का पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सचिन मित्तल), 12/10

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,  
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- कमाण्डेंट, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर को उनके पत्रांक 4931 दिनांक 07.10.2022 के सन्दर्भ में लेख है कि उक्त कोर्स के लिये मनोनयन हेतु अपने स्तर पर भी संबंधित से समन्वय स्थापित करें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,  
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।